

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० 284 / जो० अ०

दिनांक 23.19

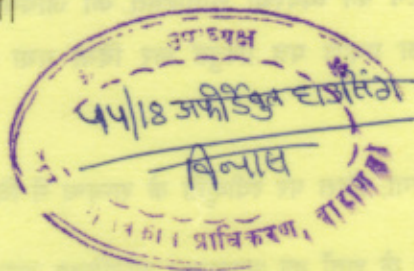
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री सुदि बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि.
पिता/पति का नाम श्री जयदेव सिंह आराजी सख्या 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 मौजा वैजयपुरी बसावै जमीन
वार्ड रिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



कृते उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी 23.19

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर 30 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें:-

1. भूखण्ड पर 50 बृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से बृक्षारोपण करना होगा।
2. भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो द्वारा देय होगी।
3. भू-स्वामित्व व रास्ते सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में प्रस्तुत मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा; जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
5. निर्माण के समय कोई भी अप्रिय घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
6. स्थल पर रेन वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण भूकम्परोधी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है; जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
8. स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा; जिस पर स्वीकृति के सम्बन्ध में विवरण अंकित होगा।
9. आप द्वारा दिये गये शपथ पत्र के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
10. पक्ष को एन0 जी0 टी0 के संलग्न नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
11. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कार्य कराया जायेगा।
12. रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाइडिक पावर प्लांट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफ टाप एरिया पर अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेरा के नियमों का पालन करना होगा।
14. क्षेत्र में पी.एन.जी की उपलब्धता होने पर पी0एन0जी0 कनेक्शन लेना होगा।
15. कूड़ाघर / डस्टबिन का प्राविधान स्थल पर करना होगा।
16. पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
17. मुख्य मार्ग से व्यवसायिक तट रोड की भूमि रोड उपयोग के लिये स्वेच्छया से फ्री में दिया गया है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं किया जायेगा।

[Handwritten Signature]
21/11/19
AE